



सूचना का अधिकार अधिनियम— 2005 की धारा 18 एवं धारा 19:— एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. संजीव कुमार


भाोधकर्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, दून कालेज ऑफ लॉ सुन्दरपुर, सहारनपुर.

प्रोफेसर (डॉ.) ओम दत्त

डी.ए.वी कालेज, मुजफ्फरनगर.

सार

सूचना का अधिकार अधिनियम— 2005 भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 एवं धारा 19 नागरिकों को सूचना ना मिलने की स्थिति में शिकायत एवं अपील का प्रभावी माध्यम प्रदान करती है। यह शोध पत्र धारा 18 एवं धारा 19 के प्रावधानों, प्रकृति, उद्देश्य और व्यावहारिक उपयोग का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है तथा यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि दोनों धाराएँ किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी परस्परपूरक हैं।



1. परिचय

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत सरकार की शक्ति का श्रोत भारत की जनता है। लोकतांत्रिक सरकार जनता की, जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी गयी सरकार है। देश का शासन सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और प्रतिनिधि अपने प्रशासकीय कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

सूचना के अधिकार की उपयोगिता इस बात से सिद्ध होती है कि भारतीय संविधान में इसे अनुच्छेद – 19(1) के अर्न्तगत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद – 19(1) जिसके अर्न्तगत प्रत्येक नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गयी है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, आदि। सूचना का अधिकार – 2005 प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और नागरिक अभिलेखों की माँग कर सकता है।

सुशासन प्रत्येक देश की आवश्यकता है। इस तरह के शासन में सरकारी व्यवस्था में जनता की भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही शामिल है। पारदर्शिता के अभाव में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक मनमानी तथा सत्ता का दुरुपयोग बढ़ता है। इसलिए यदि हम भ्रष्टाचार मुक्त तथा पारदर्शी समाज में रहना चाहते हैं तो हमें गोपनीयता की दीवार को हटाना होगा। इन्ही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 लागू किया गया। अधिनियम की सफलता इस बात पर निर्भर है कि नागरिकों को सूचना सुलभता से प्राप्त हो रही है या नहीं। यदि सूचना अधिकारी सूचना देने में लापरवाही करता है तो उसके सम्बन्ध में

अधिनियम में धारा 18 (शिकायत) तथा धारा 19 (अपील) की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये दोनों धाराएँ ही नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकारों का संरक्षण करती हैं।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार 1977 में पहली बार राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में लोकसभा चुनाव से तुरन्त पहले सामने आया। 1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में खुली सरकार का वायदा किया और कहा कि सरकारी प्राधिकरणों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जायेगा।

“1989 में प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह ने सूचना के अधिकार हेतु कानून बनाने का प्रयास किया परन्तु सफलता नहीं मिली”

जनआंदोलन के रूप में सूचना का अधिकार पहली बार राजस्थान में सामने आया। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 1994 में राजस्थान सूचना के अधिकार के लिए क्रांतिकारी पहल की। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी और सरकारी बहिखातो में पारदर्शिता की माँग ने सूचना के अधिकार कानून को बनाने का आधार तैयार किया। मजदूरों के इस आंदोलन को स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आगे बढ़ाया गया। मजदूरों का यह आंदोलन जल्द ही पूरे भारत में फैल गया। सूचना के अधिकार के लिए चल रहे आन्दोलनों ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारम्भ कर दिया। पहली बार 2002 में केन्द्र सरकार ने सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम बनाया परन्तु यह नियमावली के अभाव में यह लागू नहीं हो पाया। अन्ततः 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बना। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने नागरिकों और सरकार (शासन) के बीच सम्बन्धों को अधिक पारदर्शी बनाया।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है परन्तु यदि उसके इस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम में दो उपचारों का उल्लेख किया गया है :-

1. शिकायत :- धारा-18
2. अपील :- धारा-19

3. धारा 18 : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – शिकायत सम्बन्धी प्रावधान

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा 18 नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकें। यह धारा केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग को शिकायतें प्राप्त करने तथा उनकी जाँच करने की वैधानिक शक्ति प्रदान करती है। धारा 18 का उद्देश्य सूचना प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और लोक सूचना अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

धारा 18 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक सूचना आयोग के समक्ष शिकायत कर सकता है, यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लोक सूचना अधिकार की नियुक्ति नहीं की गई हो, या सूचना के लिए आवेदन स्वीकार न किया गया हो¹। इसके अतिरिक्त यदि आवेदक को निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हो², अनुचित शुल्क की माँग की गई हो³, अथवा जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक सूचना दी गई हो⁴, तो ऐसी स्थिति में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

सूचना आयोग द्वारा जाँच⁵

सूचना आयोग को ऐसी शिकायत की जाँच करने की ऐच्छिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। यदि आयोग इस बात से सन्तुष्ट है कि उसके पास शिकायत की जाँच के युक्तिसंगत कारण हैं तो आयोग ऐसी शिकायत के सम्बन्ध में जाँच प्रारम्भ कर सकता है। दूसरे शब्दों में धारा-18(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदकों को केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत करने का अधिकार तो है परन्तु आवेदक द्वारा दायर प्रत्येक शिकायत पर जाँच करवाने का अधिकार उसके पास नहीं है। क्योंकि इस विषय में जाँच आयोग की सन्तुष्टि पर निर्भर करती है। यदि आयोग इसमें युक्तिसंगत कारण पाता है तो शिकायत की जाँच होगी अथवा नहीं।

जाँच प्रक्रिया सम्बन्धित आयोग की शक्तियाँ⁶ -

इसमें सूचना आयोग को व्यापक जाँच का अधिकार प्राप्त है। यह आयोग की प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। धारा 18(1) में प्राप्त शिकायतों की जाँच करते समय आयोग को दीवानी प्रक्रिया संहिता - 1908 के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। आयोग आवश्यक होने पर सम्बन्धित अधिकारियों को समन जारी कर सकता है⁷, दस्तावेज मंगवा सकता है⁸ तथा साक्ष्य एकत्र कर सकता है⁹। यदि जाँच के दौरान यह सिद्ध होता है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है तो आयोग उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकता है।

धारा - 18 की प्रकृति मुख्यतः निगरानी और अनुशासनात्मक है। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना उपलब्ध कराना नहीं बल्कि सूचना तंत्र में व्यापक लापरवाही, अनियमितता और मनमानी पर नियंत्रण स्थापित करना है। इस प्रकार यह धारा प्रशासनिक पारदर्शिता को सदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होती है।

धारा 18 में प्रदत्त प्रावधान एक विशेष परिस्थिति के उपचार के रूप में देखे जा सकते हैं। जब अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन जानबूझकर किया जा रहा हो तो उस परिस्थिति में धारा-18 नागरिकों को सूचना आयोग के समक्ष शिकायत का अधिकार प्रदान करती है क्योंकि अधिनियम का उल्लंघन सीधे नागरिकों के कानूनी अधिकार का हनन करना है। अतः उपचार की शक्तियाँ सीधे सूचना आयोग में निहित हैं। परन्तु शिकायत का प्रावधान का प्रयोग साधारण परिस्थितियों में छोटी-छोटी बातों के लिए करना उचित नहीं है। परन्तु यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जानबूझकर अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करता है तो ऐसी परिस्थितियों में शिकायत एक उचित माध्यम है।

केन्द्रीय सूचना आयोग ने **जयदेवी बनाम एम.एच.ए**¹⁰ के मामले में कहा है कि यदि शिकायत का कोई उचित कारण न हो तो प्रथम अपील ही उचित उपचार है।

3. धारा-19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: अपील का अधिकार

धारा 19 दो स्तरीय अपील व्यवस्था प्रदान करती है:-

→ प्रथम अपील - वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष

→ द्वितीय अपील - केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग के समक्ष
आवेदक द्वारा अपील किये जाने के दो मुख्य आधार हैं :-

(i) निर्धारित समय में निर्णय प्राप्त होना :-

यदि आवेदक सूचना के अधिकार के अन्तर्गत दिए अपने आवेदन पत्र पर निर्धारित समयावधि अर्थात् 30 दिन में कोई निर्णय प्राप्त नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह अपील दायर कर सकता है। इसके अलावा यदि वह सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी के फैसले से संतुष्ट न हो तब भी वह अपील कर सकता है ऐसी स्थिति में प्रथम अपील के ऐसे अधिकारी के पास पेश की जाती है जो लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो।

(ii) सूचना की अघोषित मनाही :-

यद्यपि अपील हमेशा किसी आदेश के खिलाफ ही पेश की जाती है। परन्तु यदि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी 30 दिन में सूचना प्रदान नहीं करता तो ऐसी अवस्था में सूचना न देना, सूचना की अघोषित मनाही समझी जायेगी। अतः औपचारिक आदेश पारित न किये जाने की अवस्था में इसे अस्वीकृति का आदेश माना जायेगा। इसलिए ऐसे आदेशों के खिलाफ भी अपील करने का प्रावधान किया गया है।

प्रथम अपील दायर करने की समय- सीमा

अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपील दायर करने की अवधि 30 दिन निर्धारित है परन्तु प्रथम अपील अधिकारी यदि इस बारे में सन्तुष्ट है कि अपील दायर करने में देरी का कोई युक्तियुक्त कारण है तो देरी की अवस्था में भी अपील स्वीकार की जा सकती है।

अपील में अतिरिक्त सूचना नहीं –

अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र वास्तव में आवेदक के इस अधिकार को सीमित करता है अर्थात् जो सूचना, प्रार्थना पत्र में वांछित है, वही सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। यद्यपि धारा 19(1) व 19(3) के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय अपील का प्रावधान है परन्तु अपील केवल प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना के बारे में ही की जा सकती है एवं अपील की अवस्था में किसी अतिरिक्त सूचना की मांग नहीं की जा सकती।

केन्द्रीय सूचना आयोग ने राजेन्द्र प्रसाद बनाम डायरेक्टोरेट आफ हेल्थ सर्विसेज एन सी टी आफ दिल्ली¹¹ के मामले में यह निर्णय दिया गया कि सूचना अधिकारी प्रार्थना पत्र से बाहर नहीं जा सकता और इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत बाद में किसी भी स्तर पर अतिरिक्त सूचना की प्रार्थना नहीं की जा सकती। इसका मुख्य कारण है कि प्रार्थना पत्र ही वह मूल दस्तावेज है। जिसके आधार पर सूचना अधिकारी, सूचना प्रदान करने की व्यवस्था और निर्णय करता है।

सूचना आदेश को पालन करवाने का प्रथम अपील अधिकारी का उत्तरदायित्व –

प्रथम अपील अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पालन करना लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य है परन्तु यदि वह इसका पालन नहीं करता है तो प्रथम अपील अधिकारी के पास इसे लागू करवाने का विकल्प है।

केन्द्रीय सूचना आयोग ने एल डी चोपडा बनाम डी सी सी (एन डब्ल्यू)¹² के मामले में ऐसे दो विकल्पों का वर्णन किया है। यदि लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध धारा- 20 के अन्तर्गत कार्यवाही की संस्तुति सूचना आयोग को की जा सकती है। ऐसी संस्तुति प्राप्त होने पर सूचना आयोग ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे विकल्प के रूप में प्रथम अपील अधिकारी स्वयं ही भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की शुरुआत कर सकता है जहाँ सक्षम अधिकारी के कानूनी आदेश की अवहेलना के लिए दण्ड का प्रावधान है।

द्वितीय अपील –

केन्द्रीय एवं राज्य सूचना आयोग को प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। यह अपील प्रथम के निर्णय की तिथि से 90 दिन की अवधि के अन्दर सम्बन्धित आयोग के पास दायर कर सकती है। आयोग को द्वितीय अपील 90 दिन की निर्धारित अवधि के बाद भी सुनवाई करने का अधिकार है बशर्ते कि आयोग इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि पर्याप्त कारणों की वजह से उक्त अपील निर्धारित अवधि में दायर नहीं की जा सकी।

अपील के निस्तारण की समयावधि –

प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का निर्णय 30 दिन की निर्धारित अवधि में किया जाएगा व यदि किसी कारणवश अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त समय बढ़ाया जाता है तो उचित कारणों के लिखित विवरण के साथ यह अधिकतम 45 दिन की होगी अर्थात् अधिकतम 45 दिन के अन्दर प्रथम अपील प्राधिकारी को उक्त अपील का निर्णय करना होगा¹⁴।

द्वितीय अपील इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति का अंतिम उपाय है। सूचना आयोग, अधिनियम के अन्तर्गत सर्वोच्च कानूनी संस्था है तथा अपनी स्वायत्ता एवं स्वतंत्रता के आधार पर यह संस्था नागरिकों के

सूचना के अधिकार की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। केन्द्रीय एवं राज्य सूचना आयोग के निर्णय के लिए किसी सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन इनके उच्च स्थान को देखते हुए इनसे आशा की जाती है कि वे स्वः अनुशासन का परिचय देते हुए अपीलों को शीघ्रता से निपटायेगें।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 एवं 19 का तुलनात्मक विश्लेषण

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में धारा 18 तथा धारा 19 की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि दोनों धाराएं सूचना प्राप्ति से सम्बन्धित हैं; परन्तु इनकी प्रकृति, उद्देश्य तथा प्रक्रिया में स्पष्ट अन्तर पाया जाता है:-

(i) प्रकृति के आधार पर :-

धारा 18 की प्रकृति शिकायतात्मक है। इसके अंतर्गत नागरिक सूचना आयोग के समक्ष उन अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायत कर सकता है, जो सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। इसके विपरीत धारा 19 अपीलतात्मक प्रकृति की है, जिसके माध्यम से नागरिक लोक सूचना अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।

(ii) उद्देश्य के आधार पर :-

धारा 18 का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक लापरवाही, मनमानी तथा नियमों के उल्लंघन की जाँच करना है। यह लोक सूचना अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर केन्द्रित है।

वही धारा 19 का उद्देश्य नागरिक को वांछित सूचना उपलब्ध कराना है, ताकि उसके सूचना के अधिकार की वास्तविक रक्षा हो सके।

(ii) प्रक्रिया के आधार पर :-

धारा 18 के अंतर्गत शिकायत सीधे केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है। इसमें किसी पूर्व अपील की आवश्यकता नहीं होती।

दूसरी ओर, धारा 19 में चरण बद्ध प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें पहले प्रथम अपील और उसके बाद द्वितीय अपील का प्रावधान है।

(iii) मंच(Forum) के आधार पर:

धारा 18 में केवल सूचना आयोग ही शिकायत की सुनवाई करता है।

इसके विपरीत धारा 19 में पहले विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और आवश्यकता पडने पर मामला सूचना आयोग तक पहुँचता है।

(ii) परिणाम के आधार पर :-

धारा 18 के अन्तर्गत आयोग जाँच कर सकता है तथा दोषी लोक सूचना अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है, किन्तु सामान्यता: सूचना प्रदान करने का आदेश नहीं देता।

वही धारा 19 के अंतर्गत आयोग सूचना उपलब्ध कराने, निर्णय संशोधित करने अथवा निर्देश जारी करने की शक्ति रखता है।

5. न्यायिक दृष्टिकोण :-

Chief Information Commission v/s State of Manipur(2011)

तथ्य (Facts)

आवेदको ने धारा 6 के तहत सूचना मांगी, परन्तु उत्तर न मिलने पर उन्होंने धारा 18 के अर्न्तगत शिकायत दायर की। राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने का आदेश दिया, जिसे राज्य ने चुनौती दी।

निर्णय (Judgement) :-

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 18 के तहत आयोग को सीधे सूचना प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है; यह शक्ति धारा 19(8) के तहत अपील प्रक्रिया में निहित है।

महत्व (Significance) :-

यह निर्णय धारा 18 (शिकायत) और धारा 19 (अपील) के बीच मूल अंतर स्पष्ट है- सूचना प्राप्त करने का प्रभावी उपाय केवल अपील है, न कि केवल शिकायत।

6. निष्कर्ष :-

सूचना का अधिकार - 2005 की धारा 18 और 19 नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए दो अलग-अलग लेकिन परस्पर पूरक कानूनी प्रावधान हैं। इस तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यद्यपि दोनों धाराएँ सूचना प्राप्ति से जुड़ी हैं; फिर भी उनके उद्देश्य, प्रकृति और प्रयोग का क्षेत्र भिन्न है।

धारा 18 मुख्तः एक शिकायत-निवारण तंत्र के रूप में कार्य करती है, जहाँ सूचना आयोग को यह शक्ति दी गई है कि वह सूचना अधिकारी द्वारा किए गए प्रक्रियात्मक उल्लंघनों - जैसे आवेदन स्वीकार न करना, अनावश्यक विलम्ब करना या अनुचित शुल्क वसूलना की जाँच कर सके। यह धारा नागरिकों को यह अवसर देती है कि वह सूचना तंत्र में आई बाधाओं के विरुद्ध आयोग का ध्यान आकर्षित कर सकें।

इसके विपरीत, धारा 19 एक संरचित और विधिक अपील प्रणाली प्रदान करती है, जो सूचना अधिकारी के निर्णय या सूचना न मिलने की स्थिति में नागरिक को न्याय प्राप्त करने का औपचारिक मार्ग देती है। इसमें प्रथम एवं द्वितीय अपील की स्पष्ट व्यवस्था तथा समय - सीमा निर्धारित की गई है, जिससे अपील प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और उत्तरदायी बनती है।

इस प्रकार धारा 18 और धारा 19 के बीच मूल अंतर यह है कि जहाँ धारा 18 सूचना के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत का माध्यम है, वहीं धारा 19 उस उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी उपचार और निर्णय का मार्ग प्रदान करती है। दोनों धाराएँ मिलकर न केवल नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुदृढ़ बनाती हैं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और शासन की पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करती हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रभावशीलता इन्हीं दोनों धाराओं के संतुलित और सही प्रयोग पर निर्भर करती है। यदि धारा 18 निगरानी और सुधार का साधन है, तो धारा 19 न्याय और अधिकार की वास्तविक प्राप्ति का माध्यम है- और यही दोनों का संयुक्त महत्व इस अधिनियम को लोकतांत्रिक शासन का सशक्त उपकरण बनाता है।

संदर्भ -

1. धारा 18 (1)(क) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
2. धारा 18 (1)(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
3. धारा 18 (1)(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
4. धारा 18 (1)(ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
5. धारा 18 (2) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
6. धारा 18 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
7. धारा 18 (3)(क) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
8. धारा 18 (3)(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

9. धारा 18 (3)(ग)(घ)(ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
10. CIC/WB/C/2007/00512
11. CIC/PB/A/2008/00399 & 00626
12. CIC/WB/A/2009/000435
13. धारा 19 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
14. धारा 19 (6) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
15. CIVIL APPEAL Nos. 10787-10788 of 2011 Supreme Court

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. पाण्डेय, अरुण - हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली संस्करण - 2005
2. यादव, डा0 अभय सिंह - सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005: एक विवेचन सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, दरभंगा कैसल, इलाहाबाद - 2019